

प्रेषक,

राम लाल-द्वितीय,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट -नं०-6, बिजनौर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बिजनौर।

विषय:-

उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1-

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत् है कि प्रार्थी राम लाल पुत्र श्री शिव सम्मत, वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद-बिजनौर के पद पर कार्यरत है।

2-

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी-2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 28-03-2005 को नियुक्त किया गया, जिसकी विज्ञप्ति संख्या-A-4/E-1/2002 है। निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/2107/2005 दिनांकित 06-04-2005 के अनुक्रम में डाक्टर भीव राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद में प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारी का पद भार दिनांक 21-04-2005 को ग्रहण किया गया था। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2006/4622/06 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2006 के आदेशानुसार दिनांक 20-06-2006 को ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय जनपद फिरोजाबाद से कार्यमुक्त किया गया। उस समय पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया था। प्रार्थी ने दिनांक 21-06-2006 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा पूर्व सेवा (अभियोजन विभाग) को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-3797 (1)/दो-4-09-23 (16)/07,नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि "दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके उपरांत सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके उपरांत योगदान करने पर संबंधित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। साथ ही अवगत करा दिया जाए कि दिनांक 01-04-2005 या उसके बाद सेवा में



3-

प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे” यह भी सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविलि जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा विज्ञापित संख्या-A-2/E-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी, जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविलि जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन विज्ञापित/नियुक्ति संख्या उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32 (1)2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुयी है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी NOTIFICATION DATED: ALLAHABAD: JUNE 13, 2006 के अनुक्रम में प्रार्थी ने दिनांक 21-06-2006 को जनपद न्यायालय झांसी में अपर सिविलि जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024, दिनांकित 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या-9283/V11b-104/ Admin D Section Dated: 08-07-2024 तथा पत्रांक संख्या-9691/1V-F-82 (Pension)/Admin-(A) Dated: July, 16, 2024 एवं पत्रांक संख्या-10219/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated: July 29, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

4-

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन करता है। जिसके लिये प्रार्थी शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प-पत्र प्रेषित कर रहा है।


5-

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए, आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-03-08-2024



(राम लाल-द्वितीय)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नं०-6, बिजनौर।

JO Code-6467

संलग्नक-

1-शासनादेशसंख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प-पत्र।

2-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या-3797

(1)/दो-4-09-23(16)/07, नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2009 की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।

पत्रांक संख्या- 5691

दिनांक 08/08/2024

महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश  
बिजनौर।  
District Judge  
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

**विकल्प पत्र**

1. नाम - राम लाल (Ram Lal)
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. वेतनमान - J5-1,44,840-1,94,660/- रुपये।
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग/उत्तर प्रदेश शासन (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)/जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद बिजनौर।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि - Advt. NO. A-4/E-1/2002, January 25, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 28 मार्च 2005
8. योगदान की तिथि - 21 अप्रैल 2005
9. राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू0डि0), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. विज्ञप्ति की तिथि - Advt. NO. A-2/E-1/2003, November 15, 2003
11. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-2430/दो-4-06-32 (1)2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006
12. योगदान की तिथि - 21 जून, 2006
13. जन्म तिथि - 15-01-1976
14. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31-01-2036

मैं राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम - राम लाल

पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बिजनौर।

**घोषणा पत्र**

मैं राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम - राम लाल

पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बिजनौर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री राम लाल पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
District Judge  
Bijnor-U.P.

753/XV

4-12-09.

Seas. Inform the  
Officer concerned

विशेष वाहक द्वारा  
संख्या-3797/दो-4-09-23(16)/07

31/12/09

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,  
विशेष सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2009

विषय:- श्री राम लाल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट की पूर्व सेवाओं की गणना।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-12390 /चार-3445/एडमिन(ए) दिनांक 11-10-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम लाल द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 21-6-2006 को योगदान करने से पूर्व अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 21.4.2005 से दिनांक 20.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री राम लाल, की पूर्व /वर्तमान सेवाओं की सेवापुस्तिकाये संलग्नकर वापस भेजी जा रही है।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकाये (मूलरूप में)  
(दो अदद)

भवदीय,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव।

संख्या-3797(1)/दो-4-09-23(16)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वीं तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कौषागर निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
- 5- श्री राम लाल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,  
(डा० सुनील कुमार)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

राम लाल-द्वितीय,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट नं०-6, बिजनौर।

सेवा में,

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन  
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बिजनौर।

विषय:-

उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश  
संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28  
जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-  
2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में नव परिभाषित  
अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना  
(OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयन किये जाने के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

1-

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत् है कि प्रार्थी राम लाल  
पुत्र श्री शिव सम्मत, वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट)/अपर  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद-बिजनौर के पद पर कार्यरत है।

2-

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में  
चयनित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन सहायक अभियोजन  
अधिकारी-2002 के अन्तर्गत प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति अभियोजन विभाग, उत्तर  
प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 28-03-2005 को  
नियुक्त किया गया, जिसकी विज्ञप्ति संख्या-A-4/E-1/2002 है। निदेशक  
अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/  
2107/2005 दिनांकित 06-04-2005 के अनुक्रम में डाक्टर भीव राव अम्बेडकर  
पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद में प्रशिक्षु, सहायक अभियोजन अधिकारी का  
पद भार दिनांक 21-04-2005 को ग्रहण किया गया था। अभियोजन निदेशालय  
उत्तर प्रदेश लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक  
संख्या-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2006/4622/06 लखनऊ दिनांक 19 जून,  
2006 के आदेशानुसार दिनांक 20-06-2006 को ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी  
कार्यालय जनपद फिरोजाबाद से कार्यमुक्त किया गया। उस समय पुरानी पेंशन  
योजना का लाभ नहीं दिया गया था। प्रार्थी ने दिनांक 21-06-2006 को उत्तर  
प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट का पदभार  
ग्रहण करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा पूर्व सेवा (अभियोजन विभाग) को जोड़ने हेतु  
उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर विशेष सचिव उत्तर  
प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-3797 (1)/दो-4-09-23 (16)/07,नियुक्ति  
अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि  
दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके उपरांत सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर  
नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने  
के कारण दिनांक 01-04-2005 अथवा उसके उपरांत योगदान करने पर  
संबंधित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ  
सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। साथ  
ही अवगत करा दिया जाए कि दिनांक 01-04-2005 या उसके बाद सेवा में



3-

प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे” यह भी सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु विज्ञापन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा विज्ञापित संख्या-A-2/E-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 को निर्गत की गयी थी, जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन विज्ञापित/नियुक्ति संख्या उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32 (1)2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 के द्वारा हुयी है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी NOTIFICATION DATED: ALLAHABAD: JUNE 13, 2006 के अनुक्रम में प्रार्थी ने दिनांक 21-06-2006 को जनपद न्यायालय झांसी में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण किया था। वर्तमान में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 सपटित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024, के द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या-9283/V11b-104/ Admin D Section Dated: 08-07-2024 तथा पत्रांक संख्या-9691/1V-F-82 (Pension)/Admin-(A) Dated: July, 16, 2024 एवं पत्रांक संख्या-10219/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated: July 29, 2024 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

4-

ऐसे में प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चयन करता है। जिसके लिये प्रार्थी शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प-पत्र प्रेषित कर रहा है।

5-

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए, आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

दिनांक-03-08-2024

(राम लाल-द्वितीय)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट नं०-6, बिजनौर।

JO Code-6467

संलग्नक-

1-शासनादेशसंख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांक11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प-पत्र।

2-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या-3797

(1)/दो-4-09-23(16)/07,नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर 2009 की छायाप्रति।



1-

प्रतिलिपि,  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।

पत्रांक संख्या- 5690

दिनांक 08/08/2024

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन,  
अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रसारित।


जनपद न्यायाधीश,  
बिजनौर  
District Judge  
Bijnor-U.P.

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम - राम लाल (Ram lal)
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. वेतनमान - J5-1,44,840-1,94,660/- रुपये।
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग/उत्तर प्रदेश शासन (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)/जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद बिजनौर।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - अभियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि - Advt. NO. A-4/E-1/2002, January 25, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 28 मार्च 2005
8. योगदान की तिथि - 21 अप्रैल 2005
9. राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू0डि0), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. विज्ञप्ति की तिथि - Advt. NO. A-2/E-1/2003, November 15, 2003
11. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-2430/दो-4-06-32 (1)2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006
12. योगदान की तिथि - 21 जून, 2006
13. जन्म तिथि - 15-01-1976
14. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31-01-2036

मैं राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजन में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-  0308.24

नाम - राम लाल

पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बिजनौर।

घोषणा पत्र

मैं राम लाल पुत्र श्री शिव सम्पत पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-  0308.24

नाम - राम लाल

पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बिजनौर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री राम लाल पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजन में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

~~Distt. JUDGE  
Bijnor-112002~~

453/XV

4-12-09.

# Secy. Inform the  
Officer concerned  
विशेष वाहक द्वारा  
संख्या-3797/दो-4-09-23(16)/07  
31/12/09

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,  
विशेष सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2009

विषय- श्री राम लाल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट की पूर्व सेवाओं की गणना।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-12390 /चार-3445/एडमिन(ए) दिनांक 11-10-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम लाल द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 21-6-2006 को योगदान करने से पूर्व अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 21.4.2005 से दिनांक 20.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री राम लाल, की पूर्व /वर्तमान सेवाओं की सेवापुस्तिकाये संलग्नकर वापस भेजी जा रही है।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकाये (मूलरूप में)  
(दो अदद)

भवदीय,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव।

संख्या-3797(1)/दो-4-09-23(16)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वें तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कौषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
- 5- श्री राम लाल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,  
(डॉ० सुमील कुमार)  
अनु सचिव।